FORM No. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्रा० मुकाम अलवर

शीला बनाम UIT

किस्म मुकदमा 223 RT Act नं. 47/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो0 ने तहत अदालत में अपीलांट के पति व पिता के खिलाफ दावा पेश किया है। जिसमें अपीलांट के पिता व पति द्वारा ना सिर्फ अपना जबाब दावा पेश किया अपितु उसके साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया था। ऐसी अवस्था में जब किसी प्रतिवादी पक्षकार द्वारा किसी वाद में काउंटर क्लेम पेश किया जाता है तो ना सिर्फ वादी के वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है अपितु प्रतिवादी काउंटर क्लेम पेशकर्ता पक्षकार के काउंटर क्लेम का निस्तारण किया जाना भी आवश्यक व न्यायोचित होता है। लेकिन तहत अदालत ने ऐसा नही किया। मात्र असल रेस्पो0 को तो नगर विकास न्यास को पक्षकार बनाकर पुनः न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर दिया लेकिन अपीलांट के पिता व पति द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का ना तो निस्तारण किया ना ही उसके संबंध में कोई आदेश पारित किया । तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त अपील को तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट के जबाब दावे में उठाये गये सभी बिन्दुओं की विधिवत सुनवाई कर अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	